रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 324
No. 408] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939 [N.C.T.D. No. 324

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

संख्या 34/2017-राज्य कर

सं. फा. 3(39)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/718/डीएस-VI/718.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह नियम 15 सितम्बर 2017 से प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इमसें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में,--

(i) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(**3क**). उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसने नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, 1 अक्तूबर, 2017 से इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02** में सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से संसूचना फाइल करके धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह उक्त तारीख से 44 दिन की अवधि के भीतर**प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03** में नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में एक विवरण प्रस्तुत करेगा:

परंतु उक्त व्यक्तियों को **प्ररूपजीएसटीआईटीसी-03** में विवरण प्रस्तुत कर देने के पश्चात् प्र**रूपजीएसटी टीआरएएन-1** में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।";

(ii) उपनियम (5) में, "या उपनियम (3)" शब्दों, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या उपनियम (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(3) मूल नियमों में नियम 120 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"120क. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने नियम 117, नियम 118, नियम 119 और नियम 120 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्र**रूपजीएसटीटीआरएएन-1** में इलैक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत की है वह ऐसी घोषणा को एक बार पुनरीक्षित कर सकेगा और इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी और अवधिजो इस निमित्तआयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए**प्ररूप जीएसटीटीआरएएन-1** में पुनरीक्षित घोषणा प्रस्तुत करेगा ।"।

(4) मूल नियमों के नियम 127 के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) प्रत्येक तिमाही के समापन की 10 तारीख तक परिषद को एक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।"।

(5) मूल नियमों के नियम 138 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह कि जहां मालों को किसी एक राज्य में अवस्थित प्रधान द्वारा किसी अन्य राज्य में अवस्थित जाब वर्कर को भेजा जाता है तो ई-वे बिल का सृजन पारेषण के मूल्य के बावजूद प्रधान द्वारा किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां हस्तशिल्प मालों का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे धारा 24 के खंड (i) और खंड(ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है, ई-वे बिल का सृजन पारेषण के मूल्य के बावजूद उक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" का वही अर्थ है जो उसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्या 32/2017-राज्य कर, तारीख 08.11.2017 में है ।"।

(6) मूल नियमों में, 1 जुलाई, 2017 से, "**प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1**" में,-

(i) क्रम संख्या 5 (क) में शीर्ष में, "धारा 140(1)" शब्द, अंक और कोष्ठक के पश्चात् "धारा 140(4)(क) और धारा 140(9)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्या 7(क) में, सारणी में, क्रम संख्या 7(अ) में शीर्ष में, "बीजक" शब्द के पश्चात् "(प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) सहित)" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) "पदनाम/प्रास्थिति" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनुदेश:

1. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 की उपधारा (9) के निबंधनों में केन्द्रीय कर प्रत्यय ।

2. प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) का फायदा उठाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति शीर्ष "इनपुट" के अधीन सारणी-7क में प्रत्यय का फायदा लेने के अतिरिक्त "**टीआरएएनएस3**" को भी फाइल करेंगे ।";

(7) मूल नियमों में 1 जुलाई, 2017 से "**प्ररूप जीएसटीआर-4**" में, क्रम संख्या 8 में प्रविष्टि 8ख (2) में "अंतरराज्यीय प्रदाय" शब्दों के स्थान पर "अंतराज्यिक प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(8) मूल नियमों में 30 अगस्त, 2017 से "**प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01**" के टिप्पणों में, टिप्पण-4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5. प्रवेश बीजक के ब्यौरों को बीजक के स्थान पर वहां दर्ज किया जाएगा जहां पारेषण आयात से संबंधित है।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव- VI (वित्त)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, दिल्ली सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 को सं.फा. 03 (10)/ वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/342, दिनांक 22 जून, 2017, को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 27/2017 राज्य कर दिनांक 20 अक्टूबर, 2017 को हुआ था।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th November, 2017

No. 34/2017-State Tax

No. F3(39)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/718.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-—

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 15th day of September, 2017.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3 –

(i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has applied for registration under sub-rule (1) of rule 8 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of October, 2017 by electronically filing an intimation in **FORM GST CMP-02,** on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, before the said date and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub - rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the said date:

Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in **FORM GST TRAN-1** after the statement in **FORM GST ITC-03** has been furnished.";

(ii) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure "or sub-rule (3)", the words, brackets, figure and letter "or sub-rule (3A)" shall be inserted;

3. In the principal rules, after rule 120, the following rule shall be inserted, namely:—

"120A. Every registered person who has submitted a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1** within the time period specified in rule 117, rule 118, rule 119 and rule 120 may revise such declaration once and submit the revised declaration in **FORM GST TRAN-1**electronically on the common portal within the time period specified in the said rules or such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.";

4. In the principal rules, in rule 127, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iv) to furnish a performance report to the Council by the tenth of the close of each quarter.";

5. In the principal rules, in rule 138, in sub-rule (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that where goods are sent by a principal located in one State to a job-worker located in any other State, the e-way bill shall be generated by the principal irrespective of the value of the consignment;

Provided further that where handicraft goods are transported from one State to another by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clauses (i) and (ii) of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment.

Explanation – For the purposes of this rule, the expression "handicraft goods" has the meaning as assigned to it in the notification No.32/2017-State Tax dated 08.11.2017 issued by the Government of National Capital Territory of Delhi.".

6. In the principal rules, with effect from the 1st day of July, 2017, in "**FORM GST TRAN-1**",—

(i) in Serial No. 5(a), in the heading, after the words, figures and brackets "Section 140(1)", the words, figures, brackets and letter ", Section 140 (4) (a) and Section 140(9)" shall be inserted;

(ii) in Serial No. 7(a), in the table, in Serial No. 7A, in the heading, after the word "invoices", the words, brackets and letters "(including Credit Transfer Document (CTD))" shall be inserted;

(iii) after the words "Designation/Status", the following shall be inserted, namely:—

"Instructions:

1. Central Tax credit in terms of sub-section (9) of section 140 of the CGST Act, 2017 shall be availed in column 6 of table 5 (a).
2. Registered persons availing credit through Credit Transfer Document (CTD) shall also file **Trans3** besides availing credit in table 7A under the heading "inputs.".

7. In the principal rules, with effect from the 1st day of July, 2017, in "**FORM GSTR-4**", in Serial No.8, in entry 8B(2), for the words "Intra-State Supplies", the words "Inter-State Supplies" shall be substituted.

8. In the principal rules, with effect from the 30th day of August, 2017, in the Notes to "**FORM GST EWB-01**", after Note 4, the following Note shall be inserted, namely:—

"5. The details of bill of entry shall be entered in place of invoice where the consignment pertains to an import.".

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note :- The principal rules were published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 22nd June, 2017 *vide* Notification No.F.3(10)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/342 dated 22.06.2017 and last amended *vide* Notification No.27/2017-State Tax dated 20.10.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.14 11:11:48 +05'30'